**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 951**

**22.12.2017 को दिया जाने वाला उत्‍तर**

**रेलगाड़ियों में खराब गुणवत्ता वाला भोजन परोसे**

**जाने के संबंध में शिकायतें तथा की गई कार्रवाई**

951. **चौधरी सुखराम सिंह यादवः**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) रेलवे में खान-पान की गुणवत्ता खराब होने की गत 3 वर्षों के दौरान मिली शिकायतों पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और इनमें से कितनी शिकायतें संसद सदस्यों से प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या यह सच है कि गोवा-मुंबई के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस में आईआरसीटीसी द्वारा उपलब्ध कराये गये खाने को खाने के बाद कुछ यात्री बीमार पड़ गए थे;

(ग) क्या अजमेर-हैदराबाद एक्सप्रेस (12719) में दिवाली के दिन खराब खाना परोसा गया था; और

(घ) ट्रेनों में घटिया खाना परोसने पर कितने वेंडरों/अधिकारियों पर गत 3 वर्षों में कार्यवाही की गई है?

**उत्‍तर**

**रेल मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)**

(क) एवं (घ): विगत तीन वर्षों (अर्थात् 01.04.2014 से 31.10.2017) के दौरान संसद सदस्‍यों से प्राप्‍त शिकायतों सहित रेल में दिए जा रहे भोजन की गुणवत्‍ता से संबंधित शिकायतों की कुल संख्‍या और उन पर की गई कार्रवाई का ब्‍यौरा परिशिष्‍ट के रूप में संलग्‍न है। इसके अलावा, यात्रियों को दिए जा रहे भोजन की खराब गुणवत्‍ता और अतिरिक्‍त प्रभार लिए जाने पर एक ज़ीरो टॉलरेंस नीति का अनुपालन किया जा रहा है। चालू वित्‍त वर्ष (अर्थात् अप्रैल से अक्‍टूबर 2017) के दौरान, खान-पान और अन्‍य संविदात्‍मक कमियों से संबंधित शिकायतों के लिए 12 कैटरिंग ठेकों को निरस्‍त कर दिया गया है।

**(ख): जी हां। कुछ यात्रियों द्वारा संदिग्‍ध खाद्य विषाक्‍तता के संबंध में 15/10/2017 को गाड़ी सं. 22120 (करमाली-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस) तेज़स एक्‍सप्रेस में एक घटना दर्ज की गई थी।**

**(ग): जी हां। 19/10/2017 को गाड़ी सं. 12719 अजमेर-हैदराबाद एक्‍सप्रेस में इटारसी-खंडवा सेक्‍शन के बीच अज्ञात वेंडर द्वारा खराब गुणवत्‍ता वाला भोजन दिए जाने के संबंध में एक शिकायत दर्ज की गई थी।**

\*\*\*\*

रेलगाड़ियों में खराब गुणवत्ता वाला भोजन परोसे जाने के संबंध में शिकायतें तथा की गई कार्रवाई के संबंध में 22.12.2017 को राज्‍य सभा में चौधरी सुखराम सिंह यादव द्वारा पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्‍न सं. 951 के भाग (क) और (घ) के उत्‍तर से संबंधित **परिशिष्‍ट**।

(क) और (घ): विगत तीन वर्षों (अर्थात् 01.04.2014 से 31.10.2017) के दौरान संसद सदस्‍यों से प्राप्‍त शिकायतों सहित रेलों में दिए जा रहे भोजन की गुणवत्‍ता से संबंधित शिकायतों की कुल संख्‍या और उन पर की गई कार्रवाई का ब्‍यौरा निम्‍नानुसार है:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| अवधि | कुल शिकायतें | जुर्माना | चेतावनी | निरस्‍त | उपयुक्‍त सलाह दी गई | प्रमाणित नहीं किया जा सका | डी एंड एआर कार्रवाई | कोई अन्‍य | कुल |
| 2014-15 | 3249 | 1240 | 1289 | 1 | 300 | 94 | 36 | 289 | 3249 |
| 2015-16 | 3032 | 890 | 1229 | 0 | 406 | 229 | 4 | 274 | 3032 |
| 2016-17 | 2464 | 1034 | 747 | 1 | 301 | 97 | 4 | 280 | 2464 |
| 2017-18 अक्‍टूबर 2017 तक | 1059 | 322 | 369 | 8 | 127 | 47 | 0 | 186 | 1059 |